ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0032713

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
02.09.13	आवेदक की ओर से श्री आर.एस. गोयल एवं श्री आर.सी. सोमानी उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. तोमर, अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री उपस्थित । 1. प्रारंभिक आपत्ति के संदर्भ में उभयपक्ष को सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । 2. विद्युत लोकपाल के प्रकरण क्रमांक L0024812 श्री राधेश्याम हरिगोपाल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 04.03.2013 के अनुसरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0223412 श्री राधेश्याम हरिगोपाल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री को इस निर्देश के साथ फोरम को प्रत्यावर्तित किया गया था कि फोरम उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करे । 3. मामला प्रत्यावर्तित किए जाने के बाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने पुनः आदेश दिनांक 16.05.13 के द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि विधिक प्रावधान के अनुसार शिकायत फोरम के कार्यक्षेत्र में नहीं होने से ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है । 4. फोरम के इस आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि फोरम ने विद्युत लोकपाल जो कि फोरम का अपीलीय अधिकारी है, के आदेश का उल्लंघन किया है तथा उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर न करते हुए उसकी शिकायत को इस आधार पर निरस्त किया है कि उपभोक्ता की शिकायत उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आती । 5. फोरम में पदस्थ सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने का सीधा अधिकार विद्युत लोकपाल को नहीं है । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र में पदस्थ सदस्यों द्वारा पारित आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उन्होंने उक्त आदेश विधि के प्रावधानों के विरूद्ध मनमाने तरीके से किया है । उनके द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है । 6. अतः विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र को आवश्यक निर्देश दिए जाने के लिए यह प्रकरण विद्युत नियामक आयोग को भेजा जाना उचित होगा । अतः नस्ती प्रतिवेदन के साथ सचिव, विद्युत नियामक आयोग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित हो कि प्रकरण को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जावे । 7. उक्त अभिलेख के साथ फोरम का अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया जावे । **विद्युत लोकपाल**	